भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2397

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

असम में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय आवंटन

†2397. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और उसके द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत पर्यटन प्रोत्साहन और अवसंरचना विकास के लिए असम को आवंटित और जारी की गई निधि की मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में असम को किए गए आवंटनों का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) असम को पर्यटन प्रोत्साहन निधि का तुलनात्मक रूप से कम हिस्सा, यदि कोई है, मिलने के क्या कारण हैं तथा इसके उपयोग, परियोजना प्रस्ताव या नीतिगत मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा असम में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय आवंटन और प्रचार संबंधी सहायता को बढ़ाने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन स्थलों और पर्यटक उत्पादों की पहचान, विकास और संवर्धन का कार्य मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)' - स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना और 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' नामक योजनाओं के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना विकास के प्रयासों को संपूरित करता है। यह सहायता संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्रस्तुति, सरकारी निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता आदि के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

मंत्रालय ने असम राज्य में एसडी, एसडी 2.0 और सीबीडीडी के अंतर्गत अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं का स्वीकृत लागत सहित विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): गंतव्यों और परियोजनाओं का चयन/स्वीकृति राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार उनके मूल्यांकन और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, स्वदेश दर्शन पोर्टल खोला गया है और एसडी 2.0 योजना के तहत विचारार्थ सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। असम के साथ-साथ अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त पात्र प्रस्तावों पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और उनके मूल्यांकन तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन विचार किया जा सकता है।

अनुबंध

मोहम्मद रकीबुल हुसैन द्वारा असम में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय आवंटन के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या †2397 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

(i) असम राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**परिपथ/स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**प्राधिकृत/जारी राशि**
1.	वन्यजीव 2015-16	मानस - प्रोबितोरा - नामेरी - काजीरंगा - डिब्रू - सैखोवा का विकास	94.68	94.68
2.	विरासत 2016-17	तेजपुर - माजुली - शिवसागर का विकास	90.98	90.97

(ii) असम राज्य में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**गंतव्य**	**अनुभव का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**	**प्राधिकृत राशि**
1.	कोकराझार	कोकराझार वेटलैंड एक्सपीरियंस	2023-24	26.68	13.34
2.	जोरहाट	रीइमेंजिनिंग सिन्नामारा टी एस्टेट	2023- 24	23.88	11.94

(iii) असम राज्य में चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी) के तहत स्वीकृत परियोजना का विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**गंतव्य/श्रेणी**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृति वर्ष**	**स्वीकृत राशि**	**प्राधिकृत राशि**
1.	शिवसागर (इको-पर्यटन और अमृत धरोहर स्थल)	पानीदिहिंग पक्षी अभयारण्य	2024-25	9.99	5.00

(iv) असम राज्य में एसएएससीआई योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**स्वीकृति वर्ष**	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि**	**जारी राशि**
1.	2024-25	गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर-सह-वनस्पति उद्यान	97.12	126.64
2.	2024-25	शिवसागर में रंग घर का सौंदर्यीकरण	94.76	
